



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1936 (श0)
(सं0 पटना 681) पटना, वृहस्पतिवार, 21 अगस्त 2014

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना
शुद्धि पत्र
12 अगस्त 2014

सं0 7/स्था0(सं0अ0नि0)02-01/2013-3442—निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या— 889 दिनांक 21.02.14 के साथ संलग्न अंग्रेजी अनुवाद में निम्नलिखित त्रुटि सुधार किया जाता है:—

1. Schedule 'A' :- See Rule 7 (3)(iii) की कंडिका 1 (2) में "165c.m." के स्थान पर "155c.m." पढ़ा जाय।
2. Schedule 'A' :- See Rule 7 (3)(iii) की कंडिका 2 (2) में "Extended -84 c.m. (minimum)" के बाद निम्नलिखित पंक्ति पढ़ा जाय:—
"(There must be difference of at least 5 c.m. in the chest when being extended)"
3. Schedule 'A' :- See Rule 7 (3)(iii) की कंडिका 2 (4) में "Unextended- 79 c.m. (minimum)" के बाद निम्नलिखित पंक्ति पढ़ा जाय :—
"Extended- 84 c.m. (minimum)"

अधिसूचना सं0 889 दिनांक 21.02.2014 के अंग्रेजी अनुवाद को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)/अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 681-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>